

ग्राम सभा  
अति. आवश्यक



राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)


क्रमांक एफ.15( )पंरावि/विधि/ग्राम सभा/2016/724 जयपुर, दिनांक:- 22/9/16

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
जिला परिषद, समस्त ।
2. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
जिला परिषद, समस्त ।
3. विकास अधिकारी,  
पंचायत समिति, समस्त ।

**विषय:- 2 अक्टूबर, 2016 से आयोजित होने वाली ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन किये जाने बाबत ।**


विभागीय परिपत्र क्रमांक 1239 दिनांक 25.6.2003 के द्वारा किये गये प्रावधान के अनुसार ग्रामीण जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने व संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की निष्ठापूर्वक भाग लेने की दृष्टि से राज्य में 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर एवं 1 मई को निर्धारित दिवसों को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाता है ।

अतः आगामी 2 अक्टूबर, 2016 को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाकर इन ग्राम सभाओं में स्थाई ऐजेण्डे पर विस्तृत चर्चा किया जाना सुनिश्चित करावें । आपसे अनुरोध है कि **मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान** के तहत लिये गये ग्रामों में जहां डीपीआर का कार्य पूर्ण हो चुका है, उनका अनुमोदन भी ग्राम सभाओं में करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिये प्रेरित किया जाये ।

  
शासन सचिव एवं आयुक्त

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-**

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
3. जिला कलेक्टर, समस्त (राजस्थान) ।

  
उप शासन सचिव(विधि)